(106)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1232–दो/2004 – विरूद्ध आदेश दिनांक 07–05–2004 पारित द्वारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 146/2003–04 निगरानी

1– श्रीमती मीना देवी पत्नि रामचन्द्र ठारवानी
2– श्रीमती मीरा देवी पत्नि भगवानदास ठारवानी
3– श्रीमती माया देवी पत्नि रामचन्द्र ठारवानी
4– श्रीमती शॉति देवी पत्नि वृजलाल ठारवानी
5– श्रीमती माया देवी पत्नि राजकुमार ठारवानी
सभी निवासी मोहल्ला अमहिया रीवा
तहसील हुजूर जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0शासन
2– श्रीमती मायासिंह पत्नि राजकुमार सिंह
ग्राम सेमरिया तहसील गोपदबनास जिला सीधी
3– पुष्पराज सिंह पुत्र स्व.महाराज मार्तण्डसिंह
निवासी किला उपरहटी रीवा जिला रीवा
4– महारानी प्रवीणकुमारी पत्नि स्व.महाराज मार्तण्डसिंह
निवासी किला उपरहटी रीवा जिला रीवा
5– राकेशकुमार गुप्ता पुत्र महेशप्रसाद गुप्ता
6– महेशकुमार गुप्ता पुत्र वृजगोपाल गुप्ता
दोनों निवासी उपरहटी रीवा तहसील हुजूर
जिला रीवा, मध्य प्रदेश --- अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 25-7-2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 146/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-5-2004 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 117-अ-6/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनॉक 31-7-1999 से भूमि सर्वे कमांक 412, 502/1, 516, 517/1, 518/1 में से निकले रास्ते को शासकीय अभिलेख में अमल करने के आदेश दिये। इस आदेश में विसंगतियॉ होने के कारण कलेक्टर जिला रीवा ने स्वमेव निगरानी कमांक 156अ-6/2001-02 पॅजीबद्ध की। सुनवाई के दौरान आपत्ति की गई कि अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 117-अ-6/1998-99 अपील में पारित आदेश दिनॉक 31-7-1999 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष पक्षकारों ने अपील कमांक 329/01-01 प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनांक 30-1-2002 से निरस्त हुई है एंव अन्य पक्षकार ने अपील कमांक 526/2001-02 प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनॉक 6-7-01 से निरस्त हुई है इन आदेशों से अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के आदेश दिनांक 31-7-99 को स्थिर रखा गया है इसलिये कलेक्टर रीवा ऐसे आदेश को स्वमेव निगरानी में नहीं ले सकते। इस आपत्ति पर कलेक्टर जिला रीवा ने पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनॉक 9-3-2004 पारित किया तथा आवेदकगण की आपत्ति निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 146/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-5-2004 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने गये। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि जब अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के आदेश दिनांक 31-7-99 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष अपील कमांक 526/2001-02 प्रस्तुत होकर आदेश दिनॉक

6-7-01 से निरस्त हो चुकी है तथा दूसरी अपील कमांक 329/01-01 भी आदेश दिनांक 30-1-2002 से निरस्त हो चुकी है एंव अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के आदेश दिनांक 31-7-99 को यथावत् रखा गया है, अपर आयुक्त रीवा संभाग के इन आदेशों से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31-7-99 पुष्टिकृत हो जाने के कारण कलेक्टर ऐसे आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर विचार नहीं कर सकते। उन्होंने आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 7-5-2004 को तथा कलेक्टर रीवा के अंतरिम आदेश दिनांक 9-3-2004 को निरस्त करने की मांग रखी।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31-7-99 के विरूद्ध पक्षकारों ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील कमांक 526/2001-02 प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनॉक 6-7-01 निरस्त हुई है इसी प्रकार अन्य पक्षकार द्वारा प्रस्तुत अपील कमांक 329/01-01 भी आदेश दिनांक 30-1-2002 से निरस्त हुई है किन्तु यह नहीं माना जा सकता कि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के आदेश दिनांक 31-7-99 को गुण-दोष के आधार पर विवेचित कर पुष्टिकृत किया है , अपितु अपर आयुक्त रीवा संभाग ने उपरोक्त दोनों अपील इस आधार पर अग्राह्य की है कि दोनों अपील प्रकरणों के अपीलकर्ता नीचे के न्यायालयों में पक्षकार नहीं थे जिसके कारण उन्हें अपील करने का हक नहीं है । कलेक्टर जिला रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 156 अ-6/2001-02 स्वमेव निगरानी में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 9-3-2004 में विवेचित निष्कर्ष उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 146/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-5-2004 में कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 9-3-04 में हस्तक्षेप नहीं किया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 146/2003-04 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 7-5-2004 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर